National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 71-72

उच्च शिक्षा में निजीकरण एक प्रमुख समस्या

डॉ० अशोक कुमार यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), बी.एल. को.एड. कॉलेज, डूमरौली, बहरोड, अलवर, राजस्थान, भारत।

प्रस्तावना

उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र का योगदान स्ववित्तपोषित संस्थानों के नाम पर बहुत पहले से रहा है लेकिन वर्तमान में तेजी से बढ़ा ही नही है, बल्कि इसके कारण अनेक जटिल समस्याओं से समाज को जूझना पड़ रहा है। नगर पालिका या जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील भी है, दूसरी ओर तीन सौ रूपये से एक हजार मासिक भुगतान वाले निजी क्षेत्रों के अंग्रेजी स्कूल। इतना बड़ा अन्तर जहाँ प्राइमरी स्तर पर है तो उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी यह हमारे देश की गम्भीर समस्या है, जिस पर हमें विचार करना होगा।

उच्च शिक्षा का निजीकरण

उच्च शिक्षा के मापदण्ड किसी राष्ट्र के विकास का पैमाना है। इस सम्बन्ध में भारत का प्राचीन इतिहास गौरवशाली रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र, वैज्ञानिक खोज, संस्कृति के विकास में भारत की उच्च शिक्षा प्रणालियाँ दूर–दूर तक प्रसिद्ध रही हैं। भारत को विश्व गुरू कहा गया है। गुरूकुल पद्धति में त्यागी गुरू उच्च शिक्षा देते थे।

तक्षशिला एवं नालन्दा वैदिक तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। वल्लभी (गुजरात), विक्रमशिला (बिहार) में उच्च शिक्षा के क्षेत्र की अग्रणी संस्थाएँ मानी जाती थी। दक्षिणी भारत में कांची का 14वीं सदी तक नाम था। मध्यकाल में मुस्लिम बादशाहों ने मदरसा तालीम को महत्व दिया।

ब्रिटिश काल में कलकत्ता का मदरसा पहला आधुनिक कॉलेज बना था। संस्कृत कॉलेज, बनारस हिन्दू कॉलेज (कलकत्ता) प्रसिद्ध रहे हैं। इनका इतिहास बताता है कि उच्च शिक्षा, आम लोगों के लिए नहीं थी। कुछ प्रतिभाशाली ही यह सुविधा पाते थे। दूसरी बात उच्च शिक्षा महंगी होती है। राजा, बादशाह धनी व्यक्ति इसकी पूर्ति करते रहे हैं। उच्च शिक्षा के निजीकरण की समस्या वर्तमान भारत में विशेष चर्चा का विषय है। प्राचीन परम्परा के अनुसार स्वदेशी शिक्षा, नैतिकता प्रदान करती है इसके अभाव में वर्तमान में मूल्य घट रहे हैं। उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव कई चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है।

भारत में छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते रहे हैं। साधन सम्पन्न व्यक्ति ही महंगी शिक्षा का भार वहन कर अपने पुत्रों को भेजते रहे हैं लेकिन अब विदेशी विश्वविद्यालय, उनकी प्रबन्ध व्यवस्था यहाँ अपना स्थान बना रही है।

घटता सरकारी योगदान

आज उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकारें, धनाभाव का तर्क देकर पीछे हट रही हैं। केन्द्र सरकार भी, विभिन्न शिक्षा आयोगों की संस्तुति के बाद भी शिक्षा बजट नहीं बढ़ा पा रही है। शिक्षा पर केन्द्रीय बजट में 3.8 प्रतिशत से अधिक आवंटन नहीं हो पाया है। उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली अथवा कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों को विशेष सुविधा दी जा रही है। इस बार वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा था – उच्च शिक्षा में शोधरत संस्थानों, उच्च स्तरीय निजी कॉलेज को भी विशेष अनुदान दिए जायेंगे लेकिन यह ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। सरकार उच्च शिक्षा के बढ़ते भार को उठाने में असमर्थ हो रही है।

उच्च शिक्षा और महंगी होगी

पूनिया कमेटी ने सन् 1993 में स्पष्ट किया था कि राज्य को विश्वविद्यालय शिक्षा का आर्थिक भार वहन करते रहना चाहिए– लेकिन केन्द्र सरकार भी उच्च शिक्षा के निजीकरण की वकालत करने लगी है। नॉलेज कमीशन की सिफारिशों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उच्च शिक्षा की चुनौतियों के मद्देनजर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की ओर बढ़ रही सरकार फीस के मौजूदा ढाँचे में बदलाव पर विचार कर रही है। आनलाइन पढ़ाई की सुविधा के साथ ही डिजिटल कैंपस बनाने पर खास जोर दिया जा रहा है। 11वीं योजना में शिक्षा के लिए जरूरी कदमों को उठाने के क्रम में सरकार का ध्यान केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उस सिफारिश पर भी गया है, जिसमें उच्च शिक्षा में होने वाले कुल खर्च का 20 प्रतिशत छात्रों से वसूल किए जाने की बात कही गयी थी। कई राज्यों में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में तो ट्यूशन फीस में लम्बे अर्से से कोई बदलाव ही नहीं किया गया है। लिहाजा अब केन्द्रीय व सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के फीस ढांचे में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। योजना आयोग की मंशा इसके लिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनाने की है। आयोग का सुझाव है कि इसके लिए केन्द्र सरकार को हर राज्य की सलाहकार समिति के लिए एक मुश्त 25 लाख रूपये का भुगतान कर देना चाहिए। अभी तक उच्च शिक्षा में होने वाले कुल खर्च का लगभग 15 प्रतिशत छात्रों से उनकी फीस के रूप में वसूला जाता है। देश के सभी 367 विश्वविद्यालयों और 20 हजार कॉलेजों को सूचना एवं संचार तकनीक (आई०सी०टी०) से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में वर्चुअल क्लासरूम, टेली–वीडियो कांफेसिंग, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाऐं उपलब्ध कराने की बात है।

उच्च शिक्षा : निजीकरण समस्याऐं

इस समय देश में क्रान्ति का माहौल है। सरकार का वेतन आयोग–निजी क्षेत्र में दिए जाने वाले सैलरी–पैकेज के सामने वेतन निर्धारण में बौनी सिद्ध हो रही है। जबकि बढ़ती मंहगाई, सामाजिक, आर्थिक ढाँचे को विकास की ओर जाते हुए झकझोर रही है।

धनाढ्य वर्ग, किसी भी सीमा तक व्यय कर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला रहे हैं। प्रतिभाशाली निर्धन छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा व्यय बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित करने की नॉलेज कमीशन की सिफारिश के साथ प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह की चिंता सार्वजनिक हुई कि उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी बढ़नी चाहिए। इसके लिए बाकायदा मानव संसाधन मंत्रालय को विधेयक तैयार करने का सुझाव दिया है। अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो स्तर के लिहाज से हमारे विश्वविद्यालय अभी काफी पीछे हैं। मानक, गुणवत्ता और मूल्यों के अभाव पर नॉलेज कमीशन ने नॉन–प्राफिट प्लेयर्स की बात अपनी अनुशंसा में जोड़ी है। उच्च शिक्षा में प्रोजेक्ट, रिसर्च, अध्ययन केन्द्र और प्रयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सिर्फ सरकार की मदद से संभव नहीं होगी। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की वर्तमान 60 फीसदी

हिस्सेदारी से आगे की बात कर रहा नॉलेज कमीशन उन 70 फीसदी विद्यार्थियों की बात कर रहा है, जिनके लिए अभी तक प्राइवेट प्लेयर्स आगे नहीं आए हैं। अभियांत्रिकी, चिकित्सा और प्रबन्धन के क्षेत्र में ही निजी भागीदारी का बड़ा हिस्सा समाया हुआ है।

विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाने, नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की अगर बात हो रही है, तो इसके पीछे विश्व का ऐसा मॉडल आँखों के सामने हैं, जहाँ निजी भागीदारों ने उदारता से विश्वविद्यालयों के साथ विभिन्न परियोजनाओं में जुड़कर अपने देश के चहुँमुखी विकास में योगदान दिया है। यह सब अपने देश में भी हो सकता है, पर इसके लिए शिक्षा का एक राष्ट्रव्यापी मॉडल विकसित करना होगा। शिक्षा अपने देश में समवर्ती सूची में है तो राज्य सरकारों को भी अपने यहाँ भागीदारी के लचीले नियमों को प्रश्रय देने की जरूरत है। नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए अनुमति देने से पूर्व यह भी देखना होगा कि जिन विषयों की पढ़ाई वहाँ होनी है, उनके लिए पर्याप्त और तय संख्या के अनुरूप योग्य फैकल्टी, भवन, संसाधन, पाठ्यक्रम का स्तर और अन्य मानकों का अनुपालन हो रहा है या नहीं ? यह नहीं कि कुछ राज्यों की तरह एक या दो कमरों में विश्वविद्यालय चलाए जाने लगे। हमारे यहाँ कई विश्वविद्यालयों के पास अथाह भूमि और धन है, पर उनका समुचित उपयोग नहीं हो रहा। अपनी अनुशंषा में नॉलेज कमीशन ने इस ओर भी ईशारा किया है। कमीशन ने विश्वविद्यालय की एकेडमिक जरूरतों के अनुसार अपनी परती पड़ी भूमि का उपयोग अपने हित में करने की बात कही है। दूसरा रास्ता यह भी है कि सरकार जमीन दे और निजी क्षेत्र धन। इस भागीदारी से शिक्षण और शोध की दिशा में भारत प्रगति की नई ऊँचाइयाँ छू सकता है। इस पूरे प्रकरण का मूल तथ्य यह है कि निजी भागीदारी में स्वहित का जो भाव चला आता है, वहाँ सख्त स्क्रीनिंग की जरूरत है, वरना छात्रों का फायदा हो न हो, वित्तपोषकों के फायदे की हजार राहें निकल आयेंगी, यह चिन्ताजनक और चिंतनीय विषय है।

उच्च शिक्षा पर राजनीति हावी है। पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा प्रवेश में आरक्षण लागू किया जा रहा है। इससे कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। सच्चाई यह है कि भारत में शिक्षा का निजीकरण प्राइमरी से उच्च शिक्षा व्यवस्था तक 'प्रतिभा' को प्रभावित कर रहा है। शिक्षा के निजीकरण से इफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी दुकान की तरह सजाया जा रहा है। बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों तक में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के नाम पर मोटी फीस ली जा रही है। समाज का उच्च एवं मध्य वर्ग आँख बंद कर पैसा फैंक रहा है, फिर भी प्रवेश कुछ ही को मिल पाता है। शेष निजी संस्थानों में सीधी भर्ती की बोली लगती है। कुल मिलाकर इस व्यवस्था में शिक्षा जितनी महंगी है, प्रतिफल उसके अनुरूप नहीं मिल पा रहा है।

सुझाव

हमें यह मानना होगा कि शिक्षा पर व्यय अनुत्पादक व्यय नहीं है। भले ही उच्च शिक्षा से तराशी प्रतिभा का लाभ देर से और पूरे राष्ट्र को मिलता है। उच्च शिक्षा में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के दायित्वों के लिए एक समन्वित नीति (कॉर्डिनेटर पॉलिसी) बननी चाहिए। सरकार को उच्च शिक्षा का स्तर तय करना होगा एवं उसकी अर्थपूर्ति का दायित्व केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र में बाँटना होगा। आरक्षण नीति समाज के हित में लम्बे समय के लिए कभी सफल नहीं होगी। सरकार का यह भी दायित्व है, कि प्राइमरी शिक्षा से ऊपर तक ऐसी नीति बनाए कि देश की 'प्रतिभा' का धनाभाव में गला न घुट जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जागरण वार्षिकी रिपोर्ट, 2005, पृ० 401
2. University News, 42 (46) Ed. Kant, SP. 15.2.2004-10
3. भारत वार्षिकी रिपोर्ट 2007, पृ० 264
4. ज्ञान आयोग सिफारिश।
5. अंसारी, महताब आलम, लेख डिजिटल लाइब्रेरी, योजना पाक्षिक, मई 2002
6. अंसारी, महताब आलम, लेख डिजिटल लाइब्रेरी, योजना पाक्षिक, मई 2002, पृ० 141
7. जागरण वार्षिकी रिपोर्ट, 2006, पृ० 358